(ग) क्या उक्त समझौतों से राज्य की विद्युत समस्या को दूर किया जा सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विभिन्न क्षेत्रों के लिये बिजली की कीमत

3912. **श्री सुखदेव सिंह ढिडसा:**

श्री बरजिंदर सिंहः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1996-97 में कृषि क्षेत्र तथा घरेलू उपयोग क्षेत्र में प्रति यूनिट बिजली की कीमत क्रमशः 22 पैसा तथा 1.04 रुपए थी और व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में यह क्रमशः 2.63 रुपए तथा 2.60 रुपए प्रति यूनिट थी;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार के आंकलन के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर औसत कीमत क्या-क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर बिजली उत्पादन की लागत का कोई आंकलन किया है यदि हां, तो प्रति यूनिट औसत लागत क्या है; और

(घ) देश में वर्ष 1996-97 में कुल बिजली उत्पादन का कितना-कितना प्रतिशत कृषि, घरेलू उपयोग, व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग किया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कृषि, घरेलू वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों (ईंधन मूल्य समायोजन समेत) के लिये टैरिफ निम्न अनुसार थाः—

कृषि— 0.00 से 160 पैसे/कि.वा.घं. भिन्न

घरेलू— 38.5 से 404.5 पैसे/कि.वा.घं. भिन्न

औद्योगिक— 99 से 535 पैसे/कि.वा.प्रति घं. भिन्न

वाणिज्यिक— 91.5 से 590 पैसे/कि.वा. प्रति घं. भिन्न

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में स्वीकृत परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने के समय भारत सरकार के मानदंड और लागू होने वाली विनिमय दरों, पूंजीगत लागत, अंतरिम वित्तीय पैकेज के आधार पर 12% छूट दर और 68.49% संयंत्र भार अनुपात पर समस्तरीय टैरिफ में ताप विद्युत परियोजनाओं के लिये 198 पैसे/कि.वा.घं से 361 पैसे/कि.वा.घं. तथा जल विद्युत परियोजना के लिये 131 पैसे/कि.वा.घं. से 351 पैसे/कि.वा.घं. का अंतर है।

(घ) वर्ष 1996-97 के लिये अखिल भारतीय आधार पर उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों को बेची गई कुल ऊर्जा में से प्रयुक्त विद्युत की प्रतिशतता निम्नलिखित हैः—

कृषि	29.61%
घरेलूग	19.76%
औद्योगिक	37.56%
वाणिज्यिक	6.22%
अन्य	6.85%
कुलः	100.0

निजी विद्युत उपक्रमों द्वारा निधियों का उपयोग न किया जाना

3913. **श्री अखिलेश दास**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निजी विद्युत उपक्रम अपनी वार्षिक निधियों का पूरी तरह उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण विलम्ब हो रहा है तथा इसकी लागत में भी वृद्धि हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त निधियों की जांच की है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा कितनी धनराशि का ऋण लिया गया और क्या उसका उपयोग किया गया; और

(ङ) वर्ष 1997-98 के लिये विद्युत की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) से (घ) भारत निजी की उन 126 विद्युत परियोजनाओं के महत्वपूर्ण पैरामीटरों को मानीटरिंग कर रही है जिनके लिये विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति अपेक्षित है। सरकार स्वयं इन परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को किसी प्रकार का ऋण संवितरण नहीं करती है। तथापि, उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार लगभग 9600 मे.वा. की कुल क्षमता के